INTELLIGENTSIA
International Journal of Multidisciplinary Research
Volume (1), Issue (1)
April – June, 2025
Intelligentsia International Journal Of Multidisciplinary Research

कृषि एवं इसके विस्तार में पंचायतों की भूमिका – गोविंदपुर प्रखंड, धनबाद (झारखण्ड) का एक अध्ययन

विजय कुमार विश्वकर्मा
शोधछात्र
अर्थशास्त्र विभाग
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद (झारखण्ड)

शोध सार :
भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। इसी परिप्रेक्ष्य में, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, विशेष रूप से पंचायतें, कृषि के विकास एवं विस्तार में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को विकेन्द्रीकृत शासन का अधिकार मिला, जिससे वे ग्राम स्तरीय योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह अध्ययन झारखंड राज्य के धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड में कृषि के विकास एवं विस्तार में पंचायतों की भूमिका को समझने हेतु किया गया है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि पंचायतें कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की नीतियाँ एवं योजनाएँ लागू कर रही हैं तथा उनका वास्तविक प्रभाव किसानों पर कितना पड़ रहा है। अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, किसानों एवं संबंधित अधिकारियों से साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई। विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि पंचायतें कृषि संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में एक सेतु का कार्य करती हैं। वे किसानों को बीज, उर्वरक, सिंचाई, तकनीकी जानकारी तथा कृषि ऋण जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। साथ ही, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जल प्रबंधन और भूमि सुधार जैसे क्षेत्रों में भी पंचायतों की भागीदारी पाई गई। हालाँकि, कुछ चुनौतियाँ जैसे संसाधनों की कमी, योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन न होना, और पारदर्शिता की कमी भी सामने आईं। इसके बावजूद, यह स्पष्ट हुआ कि यदि पंचायतों को उचित प्रशिक्षण, संसाधन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाए, तो वे स्थानीय कृषि विकास में एक प्रभावशाली भूमिका निभा सकती हैं।

कुंजी शब्द: पंचायती राज व्यवस्था, कृषि , भूमि सुधार

प्रकाशन समयरेखा:
मूल पाण्डुलिपि प्राप्त – 16 अप्रैल, 2025; सहकर्मी समीक्षण पूर्ण – 25 अप्रैल, 2025; संशोधित पाण्डुलिपि प्राप्त – 28 अप्रैल, 2025; स्वीकृत एवं प्रकाशित – 27 मई, 2025
अनुशंसित संदर्भ
विश्वकर्मा, वि. के. (2025). कृषि एवं इसके विस्तार में पंचायतों की भूमिका - गोविंदपुर प्रखंड, धनबाद (झारखण्ड) का एक अध्ययन. इंटेलिजेंटसिया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च. 1(1), 49–63 .

• परिचय :

भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषिएवं इससे संबंधित सहायक क्षेत्र भारत में आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत हैं। देश के ग्रामीण परिवारों में से लगभग 70 प्रतिशत की आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि न केवल देश की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान समय में जब देश शहरीकरण और औद्योगीकरण की ओर अग्रसर है, तब भी ग्रामीण भारत की आत्मा कृषि में ही बसती है। अर्थव्यवस्था के इस मूल स्तंभ को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएँ एवं नीतियाँ चलाई जा रही हैं, परंतु इनका प्रभाव तभी व्यापक रूप से दिखता है जब इनका क्रियान्वयन ग्राम स्तर पर प्रभावी रूप से हो। यहीं पर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं, विशेषकर पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम,1992 के तहत ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास कार्यों के लिए अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपे गए। पंचायतें अब केवल राजनीतिक संस्थाएँ नहीं रहीं, बल्कि ये अब सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं के संचालन का मुख्य आधार बन चुकी हैं। कृषि के क्षेत्र में इनकी भागीदारी विशेष रूप से बीज वितरण, सिंचाई सुविधा, किसान प्रशिक्षण, जैविक खेती को बढ़ावा देना, कृषि ऋण और सब्सिडी की व्यवस्था जैसे विषयों में देखी जा सकती है। झारखंड राज्य, विशेषकर धनबाद जिले का गोविंदपुर प्रखंड, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कृषि ग्रामीण जीवन का मुख्य आधार है। यहाँ की पंचायतें कृषि विकास में किस हद तक सहयोगी हैं और उन्हें किन–किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

• सम्बंधित साहित्य की समीक्षाः

कृषि और इसके विस्तार से सम्बंधित गतिविधियों में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और इसके विकास के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की प्रभावशीलता आवश्यक है। पंचायती राज प्रणाली, जो कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है, ने ग्रामीण विकास और कृषि सुधार हेतु एक मंच प्रदान किया है। पंचायती राज संस्थाएं न केवल कृषि परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बल्कि वे स्थानीय संसाधनों का प्रभावी प्रबन्धन भी सुनिश्चित करती हैं। ये संस्थाएं किसानों के लिए जानकारी, तकनीकी सहायता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में मदद करती हैं, जिससे वे अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें। साहित्य समीक्षा का यह खण्ड इन्ही पक्षों पर ध्यान देता है जैसे –

"समराइज एंड एग्रीकल्चर डेवेलापमेंट इन पंचायत" ''नामक अपने एक अध्ययन में **जैन (1977)** ने कृषि विकास में स्थानीय स्वशासन की भूमिका को रेखांकित करते हुए बतातें हैं कि पंचायती राज से सम्बंधित संस्थाएं ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। उन्होंने बताया कि यदि पंचायतें सही तरीके से कार्य करें, तो वे कृषि उत्पादन और किसान अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। इस अध्ययन में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी, योजना कार्यान्वयन और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया। यह भी बताया कि पंचायतों को विकासात्मक कार्य सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि कृषि क्षेत्र में संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार अपने एक अध्ययन में **साहि (1967)** ने स्थानीय सामुदायिक विकास और खाद्य उत्पादन के बीच सम्बन्धों का विश्लेषण किया है। जिसमे यह बताया कि पंचायती राज संस्थाएं सामुदायिक विकास के लिए एक जरिया हैं, जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद कर सकती हैं।

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved

पंचायतों के माध्यम से लागू किए गये विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का और इनकी प्रभावशीलता का जाँच करते हुए उन्होंने यह रेखांकित किया कि स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, सामुदायिक भागीदारी और पंचायतों के सशक्तिकरण से खाद्य उत्पादन में वृद्धि सम्भव है। साहि का अध्ययन इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे पंचायतें किसानों के लिए जानकारी, तकनीकी सहायता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकती हैं। यह शोध खाद्य उत्पादन के विकास के लिए पंचायती राज के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है और नीतिगत सुझाव प्रदान करता है, जो ग्रामीण विकास को गति दे सकते हैं। वहीं, **रम्या (2014)** के अध्ययन "पंचायती राज इंस्टिच्यूशनस इन रूरल डेवलपमेंट : द स्टडी ऑफ अ ट्राइबल विलेज इन अरुणाचल प्रदेश" में ग्रामीण विकास में भूमिका का विश्लेषण किया गया है। यह शोध विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के एक जनजातीय गाँव पर केंद्रित है, जहाँ पंचायतों ने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अध्ययन में पाया गया कि पंचायतें स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देती हैं और विकासात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। जनजातीय क्षेत्रों में ये संस्थाएं कृषि एवं उसके विस्तार में भी सहायक सिद्ध हो रही हैं। शोध में यह भी उल्लेख किया गया है कि योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों के निर्माण से ग्राम विकास में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन में विभिन्न सरकारी योजनाओं की सफलता और चुनौतियों का मूल्यांकन किया गया है। रम्या ने सुझाव दिया कि पंचायतों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधनों से सशक्त किया जाना आवश्यक है, जिससे वे ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका को और मजबूत कर सकें।

इसी प्रकार, **सिंह (2003)** ने अपनी पुस्तक ''पंचायती राज एंड विलेज डेवलपमेंट'' में ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस अध्ययन में पंचायती राज की संरचना, कार्यप्रणाली और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में इसकी भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस आधार पर पहुँचे कि पंचायतें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनायें तैयार करने में सक्षम होती हैं, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिलती है। अध्ययन में कृषि एवं उसके विस्तार को विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम माना गया है। साथ ही, सिंह ने पंचायतों की क्षमता और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का भी विश्लेषण किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि विकास के लिए बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करना आवश्यक है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

अपने एक अध्ययन में, **चंदेल एवं जैन (1998)** ने अपनी शोध पुस्तक '' डू पंचायती राज इंस्टीच्यूसनस हारबिंगर ग्रासरूट्स लेवल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आर एंड डीप्रोसेस ? एन इन्क्वायरी थ्रू स्वॉट एनालिसिस'' में पंचायती राज संस्थाओं की कृषि अनुसंधान और विकास में भूमिका का विश्लेषण किया है। विश्लेषण के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय स्तर पर कृषि विकास को बढ़ावा देने में कितनी सक्षम हैं। उन्होंने स्थानीय संसाधनों, सामुदायिक भागीदारी और प्रबन्धन क्षमताओं का भी मूल्यांकन किया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि यदि पंचायतें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करें और कमियों पर ध्यान केंद्रित करें, तो वे कृषि अनुसंधान और विकास प्रक्रिया में अत्यधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं।

इसी प्रकार, **कौर एवं कौर (2018)** ने अपने अध्ययन ''एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एप्रोचेज टू एन्हांस द नॉलेज ऑफ फार्मर्स'' में किसानों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए कृषि विस्तार दृष्टिकोणों की चर्चा की है। विश्लेषण में पाया कि कृषि विस्तार सेवायें किसानों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अध्ययन में विभिन्न एक्सटेंशन मॉडल्स का भी विश्लेषण किया गया है, जो किसानों को उपयोगी जानकारी और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि किसानों की भागीदारी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मदद से वे नवीनतम कृषि तकनीकों को अधिक प्रभावी ढंग से अपना सकते

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved

हैं। इसके अलावा, यह सुझाव दिया गया कि स्थानीय स्तर पर कृषि विस्तार सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए नीतिगत सुधार आवश्यक है, ताकि किसान अधिक नवाचारों को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें।

''कॉन्ट्रेंट्स इन रोल परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत इन एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग'' नामक अपने एक शोधपत्र में **पॉल एवं चक्रवर्ती (2016)** ने ग्राम पंचायतों की कृषि और डेयरी फार्मिंग में भूमिका का विश्लेषण किया और पाया कि ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में समर्थ हैं। इस अध्ययन में प्रबन्धन–संसाधनों की कमी और प्रशिक्षण की आवश्यकता को प्रमुख अड़चनों के रूप में बताया गया है साथ ही सुझाव दिया कि अगर पंचायतें अपनी कार्यप्रणाली को सुधारें, तो वे कृषि और डेयरी में अधिक प्रभावी बन सकती हैं। इसी प्रकार अपने एक अध्ययन में **राघवुलु एवं नारायण (1984)** ने जिसका शीर्षक ''इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेयरी डेवलपमेंट स्कीम्स एट द ग्रासरूट लेवलः द केस ऑफ संगम डेयरी'' है में डेयरी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का विश्लेषण किया है। संगम डेयरी के मामले के हवाले से इन्होने बताया कि प्रभावी योजना और स्थानीय सहभागिता कैसे डेयरी विकास में सुधार कर सकती है। अध्ययन में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में आये अनुभवों का विवरण दिया गया है साथ ही यह कहा कि यदि स्थानीय समुदाय सक्रिय रूप से भाग लें और योजनाओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करें, तो डेयरी विकास में उल्लेखनीय सुधार सम्भव है।

कृषि और इसके विस्तार से सम्बंधित क्रियाकलापों में पंचायती राज से जुड़ी संस्थाओं की भूमिका पर की गयी इस शोध समीक्षा में कुल आठ आधारों के माध्यम से विश्लेषण किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि पंचायतो के विकास के लिए एक माध्यम हैं जिसकी सहायता से स्थानीय स्तर पर किसानों की जरूरतों को समझने और उनका समाधान करने में सक्षम होती हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि पंचायतें कृषि तकनीकों का प्रसार, विपणन सुविधाओं का विकास, और कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं, जिससे किसानों की उत्पादन में सुधार होता है। इसके अलावा, पंचायतें सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुँच में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह भी सामने आया है कि पंचायतों को कृषि विकास में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे संसाधनों की कमी, कृषि सम्बन्धी जानकारी की अपर्याप्तता और स्थानीय जनसंख्या की भागीदारी में रुकावट। इस प्रकार, इस शोध समीक्षा से यह निष्कर्ष निकलता है कि पंचायती राज संस्थाओं की कृषि गतिविधियों में भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें अधिक वित्तीय और तकनीकी संसाधन प्रदान किये जायें, साथ ही स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाये। इससे कृषि विकास में परिवर्तन लाया जा सकेगा।

• अध्ययन क्षेत्र का परिचय :

यह अध्ययन गोविन्दपुर ब्लॉक, धनबाद पर केंद्रित है. गोविन्दपुर ब्लॉक, झारखण्ड राज्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो जिला मुख्यालय से 12 किमी उत्तर–पूर्व दिशा में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 33,443.81 हेक्टेयर है और यहाँ की कुल जनसंख्या 2,01,876 है। इसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 21,944 और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 29,317 है, जो इस क्षेत्र की सामाजिक संरचना को दर्शाती है। कृषि इस क्षेत्र की मुख्य गतिविधि है, जहाँ 28,307.83 एकड़ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। इसके अलावा, 2,555. 69 एकड़ कृषि योग्य बंजर भूमि और 2,360.99 एकड़ वन क्षेत्र भी मौजूद है, जो पर्यावरण सन्तुलन और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं। गोविन्दपुर ब्लॉक में 39 पंचायतें और 225 गांव हैं, जो मिलकर शासन और प्रगति हेतु आवश्यक संरचना का सृजन करते हैं। इस क्षेत्र में 11 बैंक भी कार्यरत हैं, जो वित्तीय क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने में मददगार हैं। इससे स्पष्ट है कि गोविन्दपुर ब्लॉक, झारखण्ड की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। धनबाद जिले में मुखिया की कुल संख्या 256

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved

है, जिसमें 143 महिलाएँ और 113 पुरुष शामिल हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिले में महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा है, जो जेंडर समानता की राह में एक सकारात्मक संकेत है। वहीं गोविन्दपुर प्रखण्ड में भी 39 मुखिया हैं, जिनमें 23 महिलाएँ और 16 पुरुष हैं। दर्शाता है कि प्रखण्ड स्तर पर भी महिलाएँ सक्रियता से नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। वहीं प्रतिशत में देखें तो धनबाद जिले में महिलाओं की हिस्सेदारी 55.86 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की भागीदारी 44.14 प्रति ात है। गोविन्दपुर प्रखण्ड में महिलाओं की सहभागिता और भी व्यापक है, 58.97 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की 41.03 प्रति ात दर्ज की गयी है। इन संख्यात्मक तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि महिलाओं की स्थानीय प्रशासनिक भागीदारी में वृद्धि हो रही है, जो सामाजिक बदलाव और महिला सशक्तिकरण का संकेत है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनके प्रभाव को सशक्त बनाती है और सामुदायिक उन्नति में अहम भूमिका अदा करती है। दोनों स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता उन्नति की ओर अग्रसर हो रही है, जिससे समाज में लिंग समानता को बढ़ावा मिल रहा है। गोविन्दपुर में पंचायत स्थानीय शासन, विकास पहलों, कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, स्थानीय मुद्दों का समाधान करता है और सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाता है, जिससे निवासियों की सामाजिक–आर्थिक भलाई में वृद्धि होती है। हालाँकि, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढाँचे के विकास जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो अधिक प्रभावी शासन और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। गोविन्दपुर का सामान्य परिचय अग्र तालिका में देखा जा सकता है

तालिका : 1

गोविन्दपुर प्रखण्ड–एक परिचय

विवरण	मान
जिला मुख्यालय से दूरी	12 किमी, उत्तर–पूर्व
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	33,443.81
कुल जनसंख्या	2,01,876
अनुसूचित जाति (एस टी)जनसंख्या	21,944
अनुसूचित जनजाति (एस सी)जनसंख्या	29,317
कृषि योग्य भूमि (एकड़ में)	28,307.83
कृषि योग्य बंजर भूमि (एकड में)	2,555.69
वन क्षेत्र (एकड़ में)	2,360.99
कुल पंचायतों की संख्या	39 (23 मुखिया महिला जबकि 16 मुखिया पुरुष हैं)
कुल गाँवों की संख्या	225
कुल बैंकों की संख्या	11

स्रोत : धनबाद जिला का अधिकारिक वेबसाइट

• कृषि एवं इसके विस्तार में पंचायतों की भूमिका :

तालिका के माध्यम से स्पष्ट होता है कि पंचायतों की कृषि और इसके विस्तार में भूमिका सीमित रही है। तकनीकी प्रशिक्षण, उर्वरक और बीज की उपलब्धता, वित्तीय सहायता, कृषि सुधार कार्यक्रम और किसानों को लाभ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पंचायतों की सहभागिता अपेक्षाकृत कम है। मात्र 12.5 प्रति ात

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved

उत्तरदाताओं ने तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की पुष्टि की है, जबकि उर्वरक और बीज की समय पर उपलब्धता के लिए केवल 6.25 प्रति ात सहमति दर्शाती है कि किसानों को इस क्षेत्र में पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। वित्तीय सहायता (7.81 प्रतिशत) और सुधार कार्यक्रम (10.94 प्रतिशत) चिंता बनाये हुए है, वहीं योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रही हैं। हालांकि, 15.63 प्रति ात किसानों ने योजनाओं से लाभ मिलने की बात कही है, परंतु यह संख्या अभी भी काफी कम है। पंचायतों की भूमिका कृषि के विस्तार में महत्वपूर्ण है, लेकिन किसानों की सहमति के निम्न स्तर के पीछे विभिन्न कारण हैं। तकनीकी ज्ञान की कमी, गुणवत्तापूर्ण संसाधनों की अनुपलब्धता, वित्तीय सहायता की कमी और सुधार कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर संदेह इन कारणों में निहित हैं। इस प्रकार की समस्या को सुलझाने हेतु पंचायत को सशक्त कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और किसानों की जागरूकता बढ़ाना।

तालिका : 2

कृषि एवं इसके विस्तार में पंचायतों की भूमिका

क्रम संख्या	गतिविधि	'हाँ' कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या	'नही' कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या	सहमति (%) में
1	तकनीकी प्रशिक्षण	40	280	12.50
2	उर्वरक और बीज	20	300	6.25
3	वित्तीय सहायता	25	295	7.81
4	सुधार कार्यक्रम	35	285	10.94
5	किसानों को लाभ	50	270	15.63

स्रोत : प्राथमिक समंक से

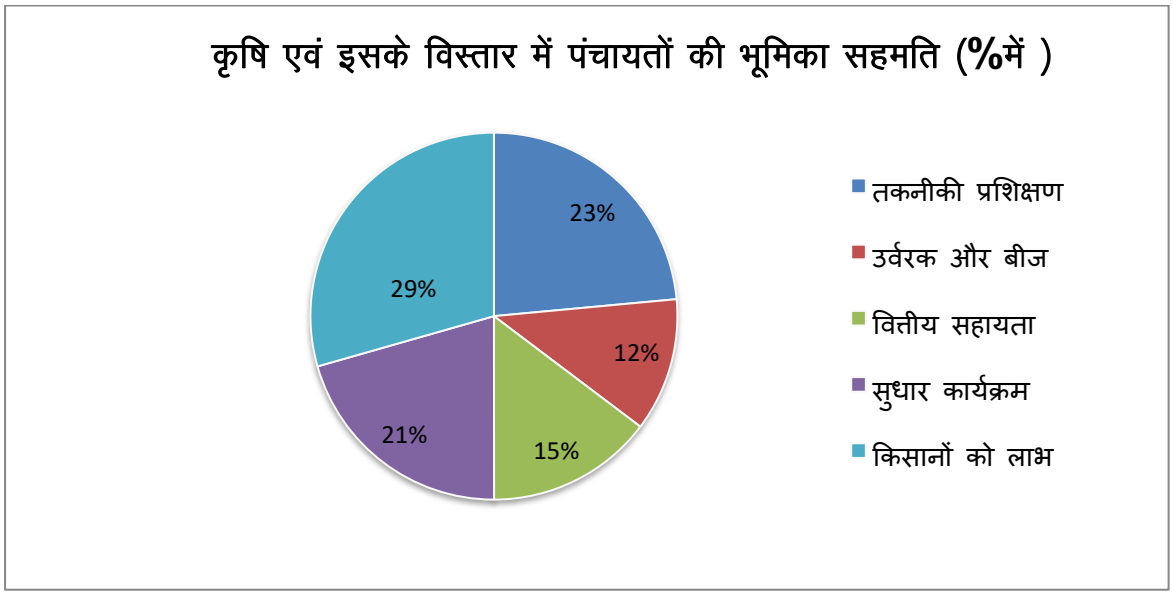

चित्र संख्या :1

- **भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबन्दी और भूमि संरक्षण में पंचायतों की भूमिका :**

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved

पंचायतों की भूमिका भूमि विकास, सुधार, चकबंदी और संरक्षण में महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वेक्षण में प्रदर्शित सहमति प्रतिशत अत्यंत निम्न है। भूमि विकास योजनाओं और सुधारों के लिए 12.50 प्रतिशत से 10.94 प्रतिशत तक की सहमति यह दर्शाती है कि पंचायतें इन गतिविधियों में अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं। संभवतः किसानों को योजनाओं के लाभों की जानकारी का अभाव, पंचायतों में संसाधनों की कमी, स्थानीय स्वशासन की कार्य करने की नीति और जागरूकता की कमी मुख्य कारण हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए पंचायतों को जागरूकता कार्यक्रम चलाने, संसाधनों का उचित उपयोग करने, स्थानीय किसान संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाने और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इन उपायों के माध्यम से पंचायत खुद के अधिकार क्षेत्र में उन्नति कर सकती हैं और कृषकों के जीवन में लाभकारी बदलाव कर सकती हैं।

तालिका : 3

भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबन्दी और भूमि संरक्षण में पंचायतों की भूमिका

क्रम संख्या	गतिविधि	'हाँ' कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या	'नहीं' कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या	सहमति (%) में
1	भूमि विकास योजनाएँ	40	280	12.50
2	चकबंदी	35	285	10.94
3	भूमि सुधार सहायता	40	280	12.50
4	भूमि संरक्षण उपाय	55	265	17.19
5	प्रत्यक्ष लाभ	40	280	12.50

चित्र संख्या : 2

- **सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि विकास में पंचायतों की भूमिका :**

पंचायतों की सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों भूमि सुधार के साथ प्रबंधन में भूमिका के संदर्भ में तालिका : 4 में प्रदर्शित आँकड़े महत्वपूर्ण हैं। सिंचाई परियोजनाओं और जल संरक्षण योजनाओं में 20.31

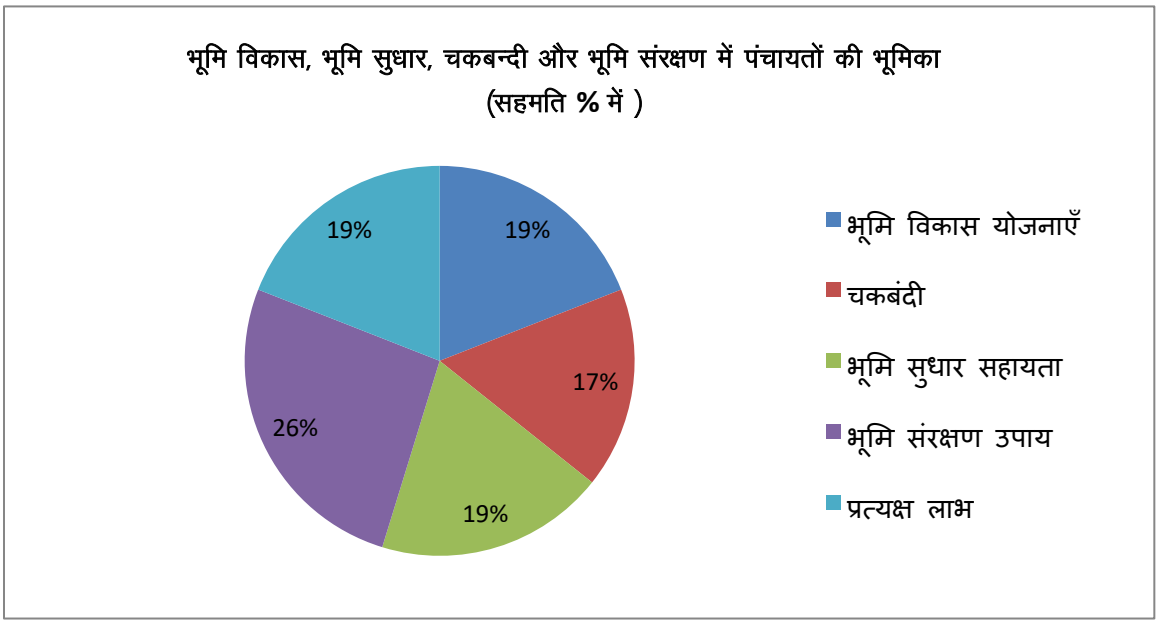

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved

प्रतिशत सहमति दर्शाती है कि पंचायतों ने कुछ सफलता प्राप्त की है, जबकि जल प्रबंधन योजनाओं के लिए 17.19 प्रतिशत और नदियों के मध्य भूमि विकास के लिए केवल 6.25 प्रतिशत सहमति अत्यधिक

चिंताजनक है। यह स्थिति संभवतः जानकारी की कमी, जल संसाधनों के उचित प्रबंधन में असफलता और पंचायतों के बीच सामंजस्य का आभाव की वजह से हो रही है। पंचायतों को चाहिए कि वे स्थानीय किसानों को जल प्रबंधन तकनीकों पर प्रशिक्षण दें, जल संरक्षण के महत्व को बढ़ावा दें और नदियों के संरक्षण के लिए सामुदायिक कार्यक्रम चलायें। इसके अलावा, बेहतर प्रशासनिक संरचना और संसाधनों का उचित आवंटन भी आवश्यक है ताकि जल प्रबंधन की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।

तालिका : 4

सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि विकास में पंचायतों की भूमिका

क्रम संख्या	गतिविधि	'हाँ' कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या	'नहीं' कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या	सहमति (%) में
1	सिंचाई परियोजनाओं की सहायता	65	255	20.31
2	जल प्रबंधन योजनाएँ	55	265	17.19
3	नदियों के मध्य भूमि विकास	20	300	6.25
4	जल संरक्षण योजनाएँ	65	255	20.31
5	सिंचाई समस्याओं का समाधान	35	285	10.94

स्रोत : प्राथमिक समंक से

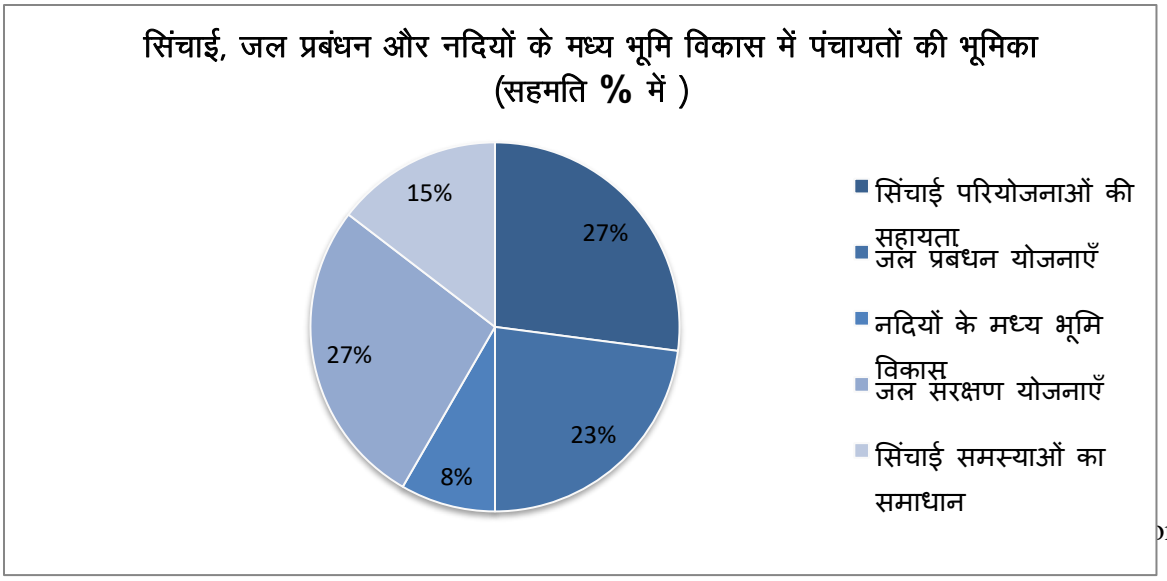

चित्र संख्या : 3

- **पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मुर्गी पालन में पंचायतों की भूमिका :**

तालिका : **5** में प्रदर्शित आँकड़े पंचायतों की पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मुर्गी पालन में योगदान को परिभाषित करते हैं। विशेष रूप से, पशुधन प्रबंधन और टीकाकरण में 46.88 प्रतिशत सहमति दर्शाती है कि पंचायतों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, अन्य गतिविधियों जैसे कि पशुपालन वित्तीय सहायता 10.00 प्रतिशत, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ 8.33 प्रतिशत, और मुर्गी पालन सुविधाएँ 16.67 प्रतिशत में सहमति का स्तर अपेक्षाकृत कम है। यह स्थिति यह संकेत करती है कि पंचायतों को इन क्षेत्रों में अधिक सक्रियता दिखाने और किसानों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना आवश्यक है। स्थानीय समुदायों में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अधिक जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की जरूरत है। इसके अलावा, बेहतर संसाधनों का वितरण और नीतिगत प्रावधान के प्रभावी कार्यान्वयन से पंचायतों को सशक्त बनाया जा सकता है।

तालिका : 5
पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मुर्गी पालन में पंचायतों की भूमिका

क्रम संख्या	गतिविधि	'हाँ' कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या	'नहीं' कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या	सहमति (%) में
1	पशुपालन वित्तीय सहायता	30	270	10.00
2	दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ	25	275	8.33
3	मुर्गी पालन सुविधाएँ	50	250	16.60
4	पशुपालन योजनाओं का लाभ	70	230	23.33
5	पशुधन प्रबंधन और टीकाकरण	150	170	46.88

स्रोत : प्राथमिक समंक से

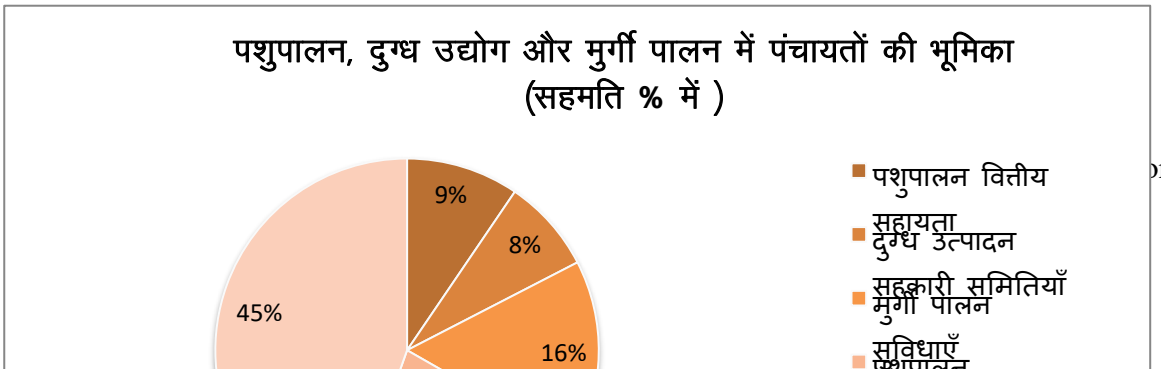

चित्र संख्या : 4

- **मत्स्य पालन उद्योग में पंचायतों की भूमिका :**

तालिकाः 6, में प्रदर्शित आँकड़े पंचायतों की मत्स्य पालन उद्योग में भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। तालाब निर्माण की सुविधा में 28 प्रतिशत सहमति से यह स्पष्ट है कि पंचायतें इस गतिविधि में अपेक्षाकृत सक्रिय हैं। हालांकि, अन्य गतिविधियों जैसे मछली बीज वितरण योजना, मत्स्य पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम, मत्स्य पालन योजनाओं का लाभ और विपणन के लिए विशेष व्यवस्था में सहमति का स्तर बहुत कम है, जो 3.3 प्रतिशत से लेकर 11.67 प्रतिशत तक सीमित है। यह स्थिति यह इंगित करती है कि पंचायतों को मत्स्य पालन के क्षेत्र में अधिक समर्पण और संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से, मछली बीज वितरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार से समुदाय के मछुआरों की दक्षता और उत्पादन में विस्तार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, विपणन व्यवस्था में सुधार से मछुआरों को अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है, जिससे मत्स्य पालन उद्योग का समुचित विकास सम्भव हो सकता है।

तालिका : 6

मत्स्य पालन उद्योग में पंचायतों की भूमिका

क्रम संख्या	गतिविधि	'हाँ' कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या	'नहीं'कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या	सहमति (%) में
1	तालाब निर्माण की सुविधा	84	216	28.00
2	मछली बीज वितरण योजना	10	290	3.33
3	मत्स्य पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम	35	265	11.67
4	मत्स्य पालन योजनाओं का लाभ	10	290	3.33
5	विपणन के लिए विशेष व्यवस्था	10	290	3.33

स्रोत : प्राथमिक समंक से

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved

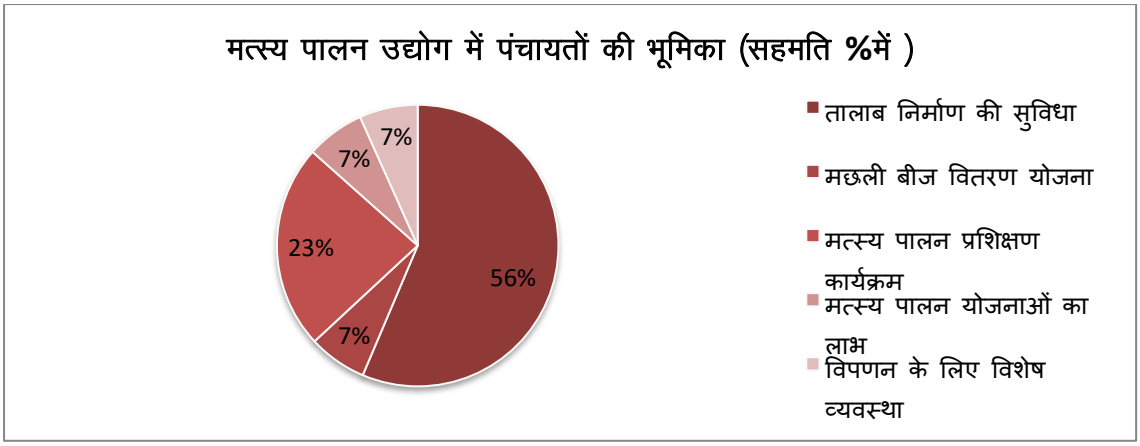

चित्र संख्या : 5

- **वन जीवन तथा कृषि वानिकी में पंचायतों की भूमिका :**

तालिका : 7, में प्रदर्शित आँकड़े पंचायतों की वन जीवन और कृषि वानिकी में भूमिका को स्पष्ट करते हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मात्र 9.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समर्थन जताया है, यह दर्शाता है कि पंचायतों का इस गतिविधि में सक्रियता कम है। कृषि वानिकी योजना, वन जीवन संरक्षण, वानिकी उत्पाद विपणन और मूल्य वर्धन प्रशिक्षण में सहमति के प्रतिशत क्रमशः 4.6 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत, 3.1 और 1.56 प्रतिशत से भी कम है। यह स्थिति यह संकेत देती है कि पंचायतें वन जीवन और कृषि वानिकी के संवर्धन में अपेक्षित स्तर पर प्रभावी नहीं हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि जागरूकता का अभाव और संसाधनों की कमी पंचायतों के कार्यों में रुकावट डाल रहे हैं। पंचायतों को इस दिशा में अधिक सक्रियता दिखानी चाहिए, जैसे कि वृक्षारोपण और वानिकी के लाभों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। इससे न केवल वन जीवन का संरक्षण होगा, बल्कि कृषि वानिकी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा सकता है।

तालिका : 7

वन जीवन तथा कृषि वानिकी में पंचायतों की भूमिका

क्रम संख्या	गतिविधि	'हाँ' कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या	'नहीं' कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या	सहमति (%) में
1	वृक्षारोपण कार्यक्रम	30	290	9.38
2	कृषि वानिकी योजना	15	305	4.69
3	वन जीवन संरक्षण	10	310	3.13
4	वानिकी उत्पाद विपणन	10	310	3.13
5	मूल्य वर्धन प्रशिक्षण	5	315	1.56

स्रोत : प्राथमिक समंक से

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved

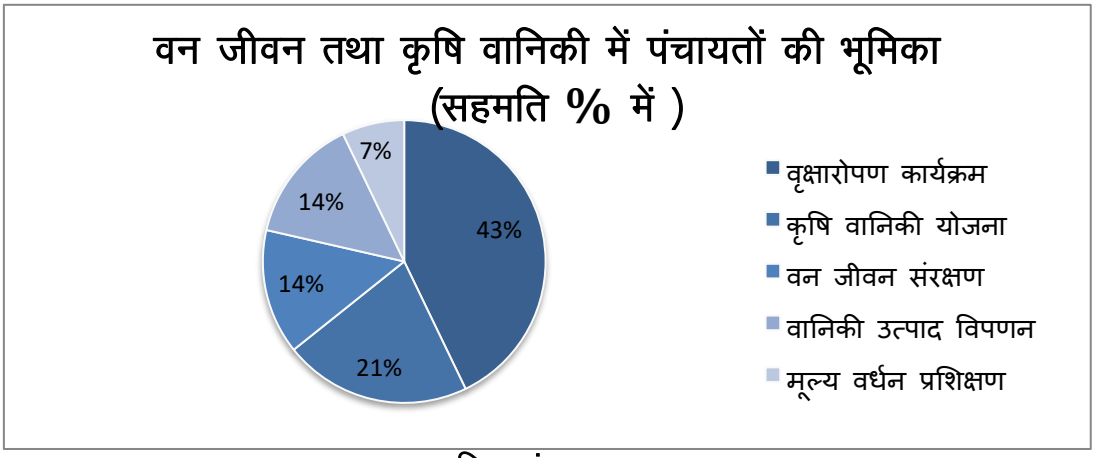

चित्र संख्या : 6

गोविंदपुर प्रखंड, धनबाद के संदर्भ में किए गए विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पंचायतों की भूमिका कृषि विकास में सीमित और असंगठित रही है। तकनीकी प्रशिक्षण, बीज व उर्वरक की उपलब्धता, वित्तीय सहायता, कृषि सुधार योजनाओं और किसानों को लाभ पहुँचाने जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में पंचायतों की सहभागिता अपेक्षाकृत कम पाई गई। उदाहरणस्वरूप, केवल **12-5%** उत्तरदाताओं ने तकनीकी प्रशिक्षण की पुष्टि की, जबकि बीज और उर्वरक की उपलब्धता को मात्र 6-25% ने स्वीकार किया, जो पंचायतों की सक्रियता की कमी को दर्शाता है। पशुपालन क्षेत्र में पंचायतों का योगदान अपेक्षाकृत बेहतर (46-88%) रहा, जबकि मत्स्य पालन, कृषि वानिकी, जल प्रबंधन और लघु उद्योगों जैसे क्षेत्रों में पंचायतों की भागीदारी न्यूनतम रही। भूमि विकास, सिंचाई और जल संरक्षण में भी पंचायतों की भूमिका सीमित रही है, जो ग्रामीण कृषि के समग्र विकास में बाधक है। इसका मुख्य कारण संसाधनों की कमी, योजनाओं की जानकारी का अभाव, तकनीकी प्रशिक्षण की न्यूनता और प्रशासनिक अक्षमता है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए पंचायतों को सशक्त बनाना, जागरूकता अभियान चलाना, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि पंचायतें इन उपायों को अपनाएँ तो वे कृषि के विकास और किसानों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

- **परिणाम में दिखलाई पड़ रही समस्याएँ :**

गोविंदपुर प्रखंड, धनबाद में पंचायतों की कृषि विकास में भूमिका का विश्लेषण करने पर अनेक समस्याएँ सामने आती हैं, जो न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधक हैं बल्कि किसानों के समग्र विकास को भी प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं को विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत किया जा सकता है दृ योजनाओं की जानकारी, संसाधनों की उपलब्धता, प्रशासनिक सीमाएँ, प्रशिक्षण की कमी और किसानों की सहभागिता का अभाव। सबसे पहली और बड़ी समस्या योजनाओं की जानकारी के अभाव की है। सर्वेक्षण के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश किसान यह तक नहीं जानते कि पंचायतों के माध्यम से कौन–कौन सी कृषि योजनाएँ चलाई जा रही हैं। यह जानकारी का अभाव पंचायतों की निष्क्रियता और सूचना के प्रचार–प्रसार में कमी को दर्शाता है। सूचना तकनीक के युग में भी किसानों तक सही और समयबद्ध जानकारी नहीं पहुँच पाना एक गंभीर प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। दूसरी प्रमुख समस्या है दृ संसाधनों की अनुपलब्धता या अपर्याप्तता। बीज, उर्वरक, सिंचाई उपकरण, और कृषि यंत्र

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved

जैसी मूलभूत सुविधाओं की समय पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है। केवल 6-25% उत्तरदाताओं ने बीज और उर्वरक की समय पर उपलब्धता की पुष्टि की, जो यह दर्शाता है कि पंचायतें इन आवश्यक संसाधनों के वितरण में विफल रही हैं। इससे न केवल कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, बल्कि किसान आर्थिक रूप से भी हानि झेलते हैं। तीसरी समस्या प्रशासनिक और संस्थागत है। पंचायतों को भले ही संवैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता, बजट और निर्णय लेने की क्षमता नहीं दी गई है। इससे वे कृषि योजनाओं के प्रभावी संचालन में बाधित होती हैं। साथ ही, पंचायत प्रतिनिधियों में तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण की कमी भी स्पष्ट रूप से देखी गई, जिससे वे आधुनिक कृषि तकनीकों और योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं कर पाते। चौथी समस्या किसानों की सहभागिता और जागरूकता की कमी है। बहुत से किसान पंचायत बैठकों या ग्राम सभाओं में हिस्सा नहीं लेते, जिसके कारण उनकी आवश्यकताएँ योजनाओं में शामिल नहीं हो पातीं। साथ ही, अनेक योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया और शर्तें इतनी जटिल होती हैं कि किसान उसमें उलझ जाते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं। इसके अलावा, भूमि सुधार, जल प्रबंधन, कृषि वानिकी, लघु उद्योग और पशुपालन जैसे सहायक कृषि क्षेत्रों में भी पंचायतों की भूमिका सीमित पाई गई। खासकर मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे वैकल्पिक रोजगार के क्षेत्रों में पंचायतों की सक्रियता अत्यधिक कम रही है।

पंचायतों की कृषि विकास में संभावनाएँ तो हैं, लेकिन वर्तमान में वे अनेक समस्याओं से जूझ रही हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल प्रशासनिक सुधारों से नहीं, बल्कि पंचायतों की क्षमता वृद्धि, प्रशिक्षण, संसाधन उपलब्धता, पारदर्शिता और किसान–जागरूकता जैसे बहुआयामी प्रयासों से ही संभव है। तभी पंचायतें अपने वास्तविक उद्देश्य ष्ग्राम स्वराजष और समावेशी कृषि विकास को प्राप्त कर सकेंगी।

• कृषि एवं इसके विस्तार में पंचायतों की भूमिका को मजबूत करने हेतु सुझाव :

गोविंदपुर प्रखंड, धनबाद में पंचायतों की कृषि क्षेत्र में सीमित भूमिका और उनके समुचित योगदान में आने वाली बाधाओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि कुछ ठोस एवं व्यावहारिक सुझावों के माध्यम से पंचायतों को सक्षम और प्रभावी बनाया जाए। कृषि विकास की प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब पंचायतें न केवल योजनाओं के निष्पादन में सहयोग करें, बल्कि नीति–निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी सक्रिय भागीदारी निभाएँ। नीचे कुछ प्रमुख सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं-

- पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण- पंचायत सदस्यों को कृषि से संबंधित तकनीकी ज्ञान, योजनाओं की जानकारी, संसाधनों के वितरण तथा प्रशासनिक प्रक्रिया के बारे में नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिनिधियों को कृषि तकनीक, जल प्रबंधन, भूमि सुधार, पशुपालन, और वैकल्पिक आजीविका के साधनों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- सूचना एवं जागरूकता अभियान- गांवों में कृषि योजनाओं और पंचायतों द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी देने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार आवश्यक है। इसके लिए पोस्टर, पंपलेट, ग्रामसभा बैठकें, मोबाइल वैन, और रेडियोध्टीवी जैसे माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। किसानों को योजनाओं के लाभ, आवेदन की प्रक्रिया और अनुदानों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved

- पारदर्शिता और जवाबदेही- पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट, जन सुनवाई और पंचायत पोर्टल पर योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे पंचायतों की जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
- संसाधनों की समय पर उपलब्धता- बीज, उर्वरक, सिंचाई उपकरण, कृषि यंत्र आदि की समय पर और सुलभ आपूर्ति के लिए पंचायत स्तर पर भंडारण एवं वितरण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। सरकार को पंचायतों को आवश्यक बजट और संसाधन प्रदान करने चाहिए ताकि वे स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सकें।
- किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना- कृषि योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में किसानों की राय और आवश्यकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्राम सभाओं को सक्रिय बनाकर किसानों की समस्याओं पर चर्चा की जानी चाहिए, जिससे योजनाएं जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी बन सकें।
- जल संसाधन प्रबंधन- पंचायतों को जल संरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं और वर्षा जल संचयन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए समुदाय आधारित जल प्रबंधन समितियाँ बनाई जानी चाहिए जो स्थानीय जल स्रोतों की देखरेख करें।
- पशुपालन एवं वैकल्पिक आजीविका का प्रोत्साहन- पंचायतों को चाहिए कि वे दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन आदि जैसे सहायक कृषि व्यवसायों को बढ़ावा दें। इसके लिए प्रशिक्षण शिविर, वित्तीय सहायता और विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- कृषि वानिकी और पर्यावरण संरक्षण- वृक्षारोपण, कृषि वानिकी और भूमि संरक्षण कार्यक्रमों में पंचायतों की सक्रियता बढ़ाने हेतु विशेष निधि और योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
- लघु उद्योगों को बढ़ावा- पंचायतें ग्रामीण स्तर पर लघु एवं कुटीर उद्योगों जैसे अचार निर्माण, मसाला पैकिंग, हाथ से बने उत्पादों को बढ़ावा दें। इससे कृषि आधारित आजीविका में विविधता आएगी और ग्रामीण रोजगार को बल मिलेगा।

• निष्कर्ष :

गोविंदपुर प्रखंड, धनबाद में किए गए इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायतों की भूमिका कृषि विकास एवं इसके विविध पहलुओं में अपेक्षाकृत सीमित और असंगठित रही है। यद्यपि पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय विकास का प्रमुख माध्यम माना जाता है, परंतु व्यवहार में यह पाया गया कि तकनीकी प्रशिक्षण, उर्वरक और बीज की उपलब्धता, वित्तीय सहायता, भूमि सुधार, जल प्रबंधन, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी और लघु उद्योग जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में पंचायतों की सक्रियता कम रही है। कृषकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव, पंचायतों के पास संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण की न्यूनता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अभाव जैसे कारणों से कृषि संबंधी योजनाएँ अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पा रही हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों जैसे पशुपालन और सिंचाई में पंचायतों की भागीदारी थोड़ी बेहतर रही, परंतु संपूर्ण कृषि विकास के लिए यह अपर्याप्त है। यदि पंचायतों को समुचित प्रशिक्षण, संसाधन, पारदर्शी प्रशासनिक ढांचा, और ग्रामवासियों की भागीदारी का सहयोग मिले तो वे कृषि क्षेत्र में एक मजबूत और

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved

स्थायी भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि पंचायतों को केवल योजनाओं के कार्यान्वयनकर्ता के रूप में न देखकर, उन्हें नीति निर्माण, निगरानी और किसान–संवाद के केंद्र में लाया जाए। तभी कृषि विकास की प्रक्रिया सशक्त, समावेशी और स्थायी हो सकेगी तथा ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ठोस कदम उठाया जा सकेगा।

संदर्भ सूची

1. कौर, के., और कौर, पी. (2018): एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन अप्रोचेज टू एनहांस द नॉलेज ऑफ फार्मर्स, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट माइक्रोबियोलॉजी एंड एप्लाइड साइंसेज, 7(2), पृश्ठ संख्या 2367–2376।
2. चंदेल, बी. एस., और जैन, एस. पी. (1998): डू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस (पीआरआईज) हार्बिंजर ग्रासरूट्स लेवल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आर एण्ड डी प्रोसेस?: एन एनक्वायरी थ्रू स्वॉट एनालिसिस, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, 53(3), पृश्ठ संख्या 265–477।
3. जैन, एस. पी. (1977): पंचायती राज एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंटः सम इश्यूज, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 23(3), पृश्ठ संख्या 707–722।
4. पॉल, एस., और चक्रवर्ती, आर. (2016): कॉन्ट्रेंट्स इन रोल परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत इन एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग, इंडियन रिसर्च जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, 9, पृश्ठ संख्या 29–31।
5. रम्या, डी. टी. (2014): रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन रूरल डेवलपमेंटः द स्टडी ऑफ ए ट्राइबल विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, मॉडर्न रिसर्च स्टडीज, 1(3), पृश्ठ संख्या 503–521।
6. राघवुलु, सी. वी., और नारायण, ई. ए. (1984). इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेयरी डेवलपमेंट स्कीम्स एट द ग्रासरूट लेवलः द केस ऑफ संगम डेयरी, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 30(4), पृश्ठ संख्या 1024–1033।
7. सिंह, वी. (2003): पंचायती राज एंड विलेज डेवलपमेंट, सारुप एंड संस, पृश्ठ संख्या 23–26।
8. साहि, आई. डी. एन. (1967): रोल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इन फूड प्रोडक्शन, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 13(3), पृश्ठ संख्या 550–560।
9. विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन (2025): इंडिया अट अ ग्लांस संयुक्त राष्ट्र संघ, hhhttps://www.krutidevunicodeconverter.com/unicode-to-krutidev-converter.php

******

Copyright © IIJMR 2025, All rights reserved